



बिहार सरकार

पशुपालन निदेशालय, बिहार



ई-मेल - dirahd-bih@nic.in

वेबसाइट - ahd.bih.nic.in

दूरभाष /फैक्स - 0612-2215962

पत्रांक- 10/नि0 (क्रय) 01/2017

दिनांक -..... /2018

"आदेश"

माह फरवरी-मार्च 2018 (21.02.2018 से 07.03.2018 तक) में केन्द्र प्रायोजित योजना Assistance to States for Control of Animal Diseases (ASCAD) एवं राज्य स्कीम के तहत "पशुओं के अंतःकृमिनाशन कार्यक्रम (Mass Deworming Programme)" का आयोजन किया जाना है। निदेशालय स्तर पर अंतःकृमिनाशन कार्यक्रम के पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण हेतु निम्नांकित विवरणी के अनुरूप निदेशालय एवं संबद्ध कार्यालयों के पदाधिकारियों को प्रमण्डल-वार नोडल पदाधिकारी के रूप में नामित किया जाता है :-

क्र0	पदाधिकारी का नाम	पदनाम	आवंटित प्रमण्डल
1	2	3	4
1	श्री अमिताभ सिंह	उपाधीक्षक पशुगणना, पशुपालन निदेशालय	पटना
2	डॉ0 जागृति प्रसाद सिंह	संयुक्त निदेशक, (प0स्वा0), पशुपालन निदेशालय	पूर्णियाँ
3	डॉ0 रविन्द्र कुमार सिंह	चारा विकास पदाधिकारी, बिहार, पटना	कोशी (सहरसा)
4	डॉ0 संजय नाथ	कनीय सहायक शोध पदा0, IAHP प्रति0 पशुपालन निदेशालय	दरभंगा
5	डॉ0 सत्येन्द्र सिंह	गोशाला विकास पदाधिकारी, बिहार, पटना	मुजफ्फरपुर
6	डॉ0 दिवाकर प्रसाद	सहायक निदेशक, पशुपालन सूचना एवं प्रसार, बिहार, पटना	सारण (छपरा)
7	डॉ0 मो0 जावेद अख्तर मल्लिक	अवकाश रक्षित पदाधिकारी, पशुपालन निदेशालय, बिहार	गया
8	डॉ0 राजेश कुमार राजू	अवकाश रक्षित पदाधिकारी, पशुपालन निदेशालय, बिहार	भागलपुर एवं मुंगेर

उक्त सभी नोडल पदाधिकारियों के निम्नांकित कार्य एवं दायित्व होंगे :-

- 1- तात्कालिक प्रभाव से अपने आवंटित प्रमण्डलों के जिला पशुपालन पदाधिकारी से सम्पर्क स्थापित कर सम्पूर्ण अंतःकृमिनाशन कार्यक्रम का अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण करना शुरू करेंगे।
- 2- किसी भी स्तर पर तैयारी में कोई कमी हो तो तुरंत अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में लायेंगे।
- 3- अंतःकृमिनाशन कार्यक्रम के दौरान अपने आवंटित प्रमण्डल अन्तर्गत जिलों का औचक निरीक्षण कर अंतःकृमिनाशन कार्यक्रम का अनुश्रवण करेंगे एवं अधोहस्ताक्षरी को प्रतिवेदित करेंगे।
- 4- अंतःकृमिनाशन कार्यक्रम हेतु पशुपालन निदेशालय द्वारा निर्गत कार्यान्वयन अनुदेश का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करवायेंगे।

इस आदेश की सूचना सभी संबंधितों को दी जाये।

ह0/-

(राधेश्याम साह)

निदेशक, पशुपालन।

ज्ञापांक :-10/नि0 (क्रय) 01/2017 282 (70)/पटना-15, दिनांक 30/01/2018

प्रतिलिपि :- क्रमांक-1 से 8 के सभी पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि :- सभी प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों के कार्यालय प्रधान/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित । निदेश दिया जाता है कि क्रमांक-1 से 8 तक के पदाधिकारियों को अंतःकृमिनाशन कार्यक्रम के पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण हेतु कार्यालय का विभागीय वाहन उपलब्ध करायेंगे ।


प्रतिलिपि :- सभी जिला पशुपालन पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित । निदेश दिया जाता है कि जिला अन्तर्गत भ्रमण हेतु संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यकतानुसार वाहन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे ।

प्रतिलिपि :- सभी क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि :- सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित । अनुरोध है कि उक्त पदाधिकारियों के आवासन हेतु स्थानीय परिसदन में व्यवस्था करने की कृपा की जाये ।

प्रतिलिपि :- विभागीय आई0 टी0 मैनेजर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने) हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि :- सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित ।


निदेशक, पशुपालन ।